

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 36/2023

तारीख 31/3/2023

गीता पत्नि मुकेश जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी छोटा थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीया

बनाम

01. छीतर पुत्र भंवरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. प्रकाशचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. गीतादेवी पत्नि हेमालाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बीड़ का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक: 05-04-23

प्रार्थना पत्र गीता पत्नि मुकेश जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी छोटा थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 83 पर अंकित आराजी संख्या 226/24 रकबा 2-00 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 83 पर अंकित आराजी संख्या 226/24 रकबा 2-00 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।



प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 36/23

तारीख 05-04-23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 36 / 23 पत्थरगढी बाबत।

गीता पत्नि मुकेश जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी छोटा थडोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... प्रार्थीया

बनाम

01. छीतर पुत्र भंवरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. प्रकाशचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. गीतादेवी पत्नि हेमालाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बीड़ का खेडा तहसील माण्डलगढ़ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 83 पर अंकित आराजी संख्या 226/24 रकबा 2-00 बीघा भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा